

Senior Time Scale (Non-Functional Second Grade)	
1. Additional Secretary, Ministry of Defence	Chairman
2. Joint Secretary(Navy), Ministry of Defence	Member
3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy)	Member
Senior Time Scale	
1. Joint Secretary(Navy), Ministry of Defence	Chairman
1. Deputy Secretary/Director (Navy), Ministry of Defence	Member
3. Director of Civilian Personnel, Integrated Headquarters Ministry of Defence (Navy)	Member

[F. No. CP(G)/1508/RR/D(Apptts)/41/2019]

S.S.S. SARMA, Director (Establishment & Civilian Personnel)

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 25.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा लेखा विभाग (समूह 'ग' तथा 'घ' पद) भर्ती नियम, 1971 जहां तक यह स्टाफ कार चालक (श्रेणी-I), स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) तथा स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य श्रेणी), उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्रीय सिविल लेखासेवा में स्टाफ कार ड्राइवर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा लेखा विभाग, स्टाफ कार चालक, भर्ती नियम, 2019 है।
(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों की भर्ती की विधि, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वो होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1)	20* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननु-सचिवीय	स्तर 5 (29200 रुपए से 92300 रुपए तक)

चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए उल्लिखित आयु तथा शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति के लिए लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

नियुक्ति की प्रक्रिया, सीधी भर्ती द्वारा अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती होने पर जिस श्रेणी से प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन की जानी है
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसे स्टाफ कार चालक (श्रेणी-II) जिनकी ग्रेड में छह वर्ष की नियमित सेवा है और ऐसे स्टाफ कार चालक(श्रेणी-II) और स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) श्रेणी में पंद्रह वर्ष की सम्मिलित सेवा की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसाय परीक्षा पास की है</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु) —</p> <p>कार्यालय रक्षा लेखा महानियंत्रक के लिए :</p> <p>(1) रक्षा लेखा के वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)/रक्षा लेखा के उप महानियंत्रक (प्रशा.) - अध्यक्ष</p> <p>(2) रक्षा लेखा के वरिष्ठ सहायक नियंत्रक/रक्षा लेखा के सहायक नियंत्रक - सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी - सदस्य</p> <p>रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालय :</p> <p>(1) रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक/अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष</p> <p>(2) रक्षा लेखा के उप नियंत्रक - सदस्य</p> <p>(3) रक्षा लेखा के सहायक नियंत्रक - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)
2. स्टाफ कार चालक (श्रेणी -II)	15* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननु-सचिवीय	स्तर -4 (25500 रुपए से 81300 रुपये तक)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	<p>प्रोन्नति:-</p> <p>जिस कार्मिक ने स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी) पद पर नौ वर्ष सेवा की है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित व्यवसाय परीक्षा उत्तीर्ण की है।</p> <p>टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने हेतु).</p> <p>रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :</p> <p>(1) रक्षा लेखा के वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)/रक्षा लेखा के उप महानियंत्रक (प्रशा.) - अध्यक्ष</p> <p>(2) रक्षा लेखा के वरिष्ठ सहायक नियंत्रक/रक्षा लेखा के सहायक नियंत्रक - सदस्य</p>	लागू नहीं होता

(3) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी	- सदस्य	
रक्षा लेखा महानियंत्रक से भिन्न अन्य कार्यालय :		
(1) रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक/नियंत्रक/अपर नियंत्रक/संयुक्त नियंत्रक	- अध्यक्ष	
(2) रक्षा लेखा के उप नियंत्रक :	- सदस्य	
(3) रक्षा लेखा के सहायक नियंत्रक	- सदस्य	

(1)	(2)	(3)	(4)
3. स्टाफ कार चालक (साधारण श्रेणी)	15* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवाएं, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननु-सचिवीय	स्तर-2 (19900 रुपये से 63200 रुपये)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक की आयु तक शिथिलता की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर जिला, लाहौल एवं स्पीति जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी उप-खंड, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की गई है।)	आवश्यक : (i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं उत्तीर्ण हो, (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए। (iii) मोटर यांत्रिकी की जानकारी (अभ्यर्थी को गाड़ी की छोटी-मोटी त्रुटियां ठीक करनी आनी चाहिए) (iv) अभ्यर्थी को मोटर-कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय : होम गार्ड अथवा सिविल स्वयं सेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा की हो टिप्पण 1 : चयन प्रक्रिया की किसी भी स्थिति में, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में, सक्षम प्राधिकारी को यदि ऐसा लगता है कि आरक्षित सीटों के लिए अपेक्षित अनुभव लिए अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी अपने विवेकानुसार अनुभव संबंधी अर्हताएं शिथिल कर सकता है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती अथवा पुनः नियोजन के लिए दो वर्ष।

(10)	(11)
<p>प्रतिनियुक्ति/आमेलन, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>सशस्त्र बल कार्मिक के लिए : प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन</p>	<p>1. प्रतिनियुक्ति/आमेलन :</p> <p>रक्षा लेखा विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000 रु से 56900 रु) के बहुकार्य कर्मचारीवृंद में से वे कार्मिक जिनके पास मोटर गाड़ी के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति है जिसके आधार पर उनकी चालन परीक्षा ली जा सके ताकि उनकी मोटर कार चलाने की सक्षमता जांची जा सके, जिसके ना होने पर केन्द्रीय सरकार की अन्य मंत्रालयों में स्तर-1 (18000 रु से 56900 रु) के बहुकार्य कर्मचारीवृंद के उन कार्मिकों को लिया जाएगा जो स्तंभ (7) में उल्लिखित आवश्यक अर्हताओं को पूरा कर सकें।</p> <p>2. सशस्त्र बल कार्मिक के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनः नियुक्ति :</p> <p>जिन सशस्त्र बल कार्मिकों की सेवानिवृत्ति होने वाली है अथवा जिनका स्थानांतरण होने वाला है तथा एक वर्ष की अवधि के लिए रिजर्व किए जाएंगे एवं जिनके पास अपेक्षित अनुभव हो तथा जो निर्धारित अर्हताओं को पूरा करते हैं, उन पर भी विचार किया जाएगा। ऐसे कार्मिकों को सशस्त्र बल से कार्यमुक्त न होने तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जाएगा, तत्पश्चात वे पुनःनियोजन पर नियोजन को जारी रख सकेंगे।</p> <p>टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य काडर बाह्य पद पर नियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख को '56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए'।</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :</p> <p>रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालयों से भिन्न अन्य कार्यालयों के लिए :-</p> <p>(1) रक्षा लेखा विभाग के प्रधान नियंत्रक अथवा नियंत्रक अथवा अपर नियंत्रक अथवा संयुक्त नियंत्रक - अध्यक्ष</p> <p>(2) रक्षा लेखा विभाग के उप नियंत्रक - सदस्य</p> <p>(3) रक्षा लेखा विभाग के सहायक नियंत्रक - सदस्य</p> <p>रक्षा लेखा महानियंत्रक कार्यालय के लिए :-</p> <p>(1) रक्षा लेखा विभाग के वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशासन)/रक्षा लेखा विभाग के उप महानियंत्रक (प्रशासन) - अध्यक्ष</p> <p>(2) रक्षा लेखा विभाग के वरिष्ठ सहायक महानियंत्रक/रक्षा लेखा विभाग के सहायक महानियंत्रक - सदस्य</p> <p>(3) वरिष्ठ लेखा अधिकारी/ लेखा अधिकारी -सदस्य</p>	<p>लागू नहीं होता।</p>

[फा. सं. 9(3)/C/2017]

आर. के. कर्ण, अपर वित्तीय सलाहकार और संयुक्त सचिव

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 7th February, 2019

S.R.O. 25.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Accounts (Group “C” and “D” posts) Recruitment Rules, 1971 in so far as it relates to the post of Staff Car Driver (Grade-I), Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver in the Central Civil Accounts Service, namely : -

1. Short title and commencement .—(1) These rules may be called the Defence Accounts Department, Staff Car Driver Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of post (2)	Classification (3)	Level in Pay Matrix (4)
1. Staff Car Driver (Grade-I)	20* (2018) *Subject to variation dependent on work load	General Central Service Group ‘C’ Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 5 (Rs. 29200 to Rs. 92300)

Whether selection post or non-selection Post (5)	Age-limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees (8)	Period of probation if any (9)
Non-selection	Not-applicable	Not-applicable	Not-applicable	Not-applicable

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion	<p>Promotion: Staff Car Driver (Grade-II) with six years of regular service in the grade or with a combined service of fifteen years in Staff Car Driver Grade-II and Staff Car Driver (Ordinary Grade) and have passed the trade test, as specified by the Central Government.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion).</p> <p>For the office of the Controller General of Defence Accounts:</p> <p>(1) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts /Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) - Chairman</p> <p>(2) Senior Assistant Controller General of Defence Accounts/Assistant Controller General of Defence Accounts - Member</p> <p>(3) Senior Accounts Officer /Accounts Officer - Member</p> <p>For offices other than the Controller General of Defence Accounts:</p> <p>(1) Principal Controller/Controller/Additional Controller/ Joint Controller Of Defence Accounts - Chairman</p> <p>(2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member</p> <p>(3) Assistant Controller of Defence Accounts - Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Staff Car Driver (Grade-II)	15* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs. 25500 to Rs. 81300)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Non-selection	Not-applicable	Not-applicable	Not-applicable	Not-applicable

(10)	(11)
By Promotion	<p>Promotion:- Staff Car Driver (Ordinary Grade) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test, as specified by the Central Government.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion).</p> <p>For the office of the Controller General of Defence Accounts:</p> <p>(1) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) /Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) - Chairman</p> <p>(2) Senior Assistant Controller General of Defence Accounts/Assistant Controller General of Defence Accounts - Member</p> <p>(3) Senior Accounts Officer/Accounts Officer - Member</p> <p>For offices other than the Controller General of Defence Accounts:</p> <p>(1) Principal Controller/Controller/Additional Controller/ Joint Controller Of Defence Accounts - Chairman</p> <p>(2) Deputy Controller of Defence Accounts - Member</p> <p>(3) Assistant Controller of Defence Accounts - Member</p>	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Staff Car Driver (Ordinary Grade)	15* (2018) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 (Rs. 19900 to Rs. 63200/-)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
<p>Between 18 and 25 years (relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).</p> <p>Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh, District of Jammu and Kashmir, Lahaul and</p>	<p>Essential :</p> <p>(i) pass in 10th standard from a recognised Board;</p> <p>(ii) possession of a valid driving licence for motor cars;</p> <p>(iii) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle);</p> <p>(iv) experience of driving a</p>	Not-applicable	Two years for direct recruitment or re-employed.

Spiti District and Pangri sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh. Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.)	<p>motor car for at least three years.</p> <p>Desirable :</p> <p>Three years' service as Home Guard or Civil Volunteers.</p> <p>Note1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. In case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>		
--	---	--	--

(10)	(11)
<p>Deputation/absorption, failing which by direct recruitment.</p> <p>For Armed Forces Personnel: Deputation/Re-employment</p>	<p>1. Deputation/ absorption:</p> <p>From amongst the Multi Tasking Staff in Level -1 (Rs. 18000 to Rs. 56900/-) in pay matrix in the Defence Accounts Department who possesses valid driving licence for motor cars on the basis of a Driving test to assess the competence to drive motor cars, failing which from amongst officials holding the post of Multi Tasking Staff in level -1 (Rs. 18000 to Rs. 56900/-) in pay matrix in other Ministries of the Central Government who fulfill the necessary qualifications as mentioned in column (7).</p> <p>2. Deputation/re-employment for Armed Forces Personnel:</p> <p>The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualifications prescribed shall also be considered. Such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment</p> <p>Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation/absorption shall be 'Not exceeding Fifty Six years' as on the closing date of receipt of application.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :</p> <p>For offices other than the Controller General of Defence Accounts:-</p> <p>(1) Principal Controller or Controller or Additional Controller/ Joint Controller Of Defence Accounts</p> <p>(2) Deputy Controller of Defence Accounts</p> <p>(3) Assistant Controller of Defence Accounts</p> <p style="text-align: right;">- Chairman - Member - Member</p>	<p>Not applicable</p>

For the office of the Controller General of Defence Accounts:-	
(1) Senior Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration) /Deputy Controller General of Defence Accounts (Administration)	- Chairman
(2) Senior Assistant Controller General of Defence Accounts/Assistant Controller General of Defence Accounts	- Member
(3) Senior Accounts Officer/Accounts Officer	- Member

[F. No. 9(3)/C/2017]

R. K. KARNA, Jt. Secy. and Addl. Financial Adviser